भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2213

दिनांक 12 दिसम्बर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अस्पतालों का पैनलबद्ध किया जाना

†2213. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानीः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अस्पतालों को पैनलबद्ध करने के लिए क्या मानदंड हैं और क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है और वर्तमान में देश भर में पैनलबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत शामिल उपचार संबंधी श्रेणियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में वरिष्ठ नागरिकों के बीच उक्त योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थानीय सरकारी निकायों और सामुदायिक संगठनों के साथ किन्हीं सहयोग सहित क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत अस्पतालों का पैनलबद्ध होना एक सतत प्रक्रिया है और यह पैनलबद्ध दिशानिर्देशों में दिए गए मानदंडों और प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है। विस्तृत दिशानिर्देश https://hem.nha.gov.in/images/309dbcbdaf52d1a4b672.pdf पर उपलब्ध हैं।

दिनांक 31.10.2025 तक, इस योजना के अंतर्गत 32,403 अस्पताल सूचीबद्ध हैं, जिनमें 15,378 निजी अस्पताल शामिल हैं। सूचीबद्ध अस्पतालों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण https://hem.nha.gov.in/search पर उपलब्ध है।

(ख): एबी-पीएमजेएवाई सरकार की एक प्रमुख योजना है जो मध्यम और विशिष्ट परिचर्या वाले की अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। नवीनतम स्वास्थ्य

लाभ पैकेज 2022 के तहत, 27 विशिष्टताओं में कुल 1961 प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं, जिनमें से 743 चिकित्सा प्रक्रियाएं और 1218 शल्य प्रक्रियाएं हैं।

(ग): एबी-पीएमजेएवाई के पास लाभार्थियों को उनके अधिकारों और हकदारियों के बारे में जागरूक करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए एक व्यापक मीडिया और जनसंपर्क कार्यनीति है। इसमें समाचार पत्रों, सामुदायिक रेडियो, नुक्कड़ नाटकों, डिजिटल डिस्प्ले, रेडियो अभियानों, जनसंचार संदेशों, लाभार्थियों के अनुभवों के प्रसारण आदि जैसे पारंपरिक मीडिया प्लेटफॉर्मों पर विज्ञापन शामिल हैं। राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों ने मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं जैसे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का एक व्यापक नेटवर्क भी स्थापित किया है, जिन्होंने जमीनी स्तर पर जन जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त, आयुष्मान वय वंदना कार्ड के लाभार्थी किसी भी सहायता/पूछताछ के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-110-770 पर मिस्ड कॉल दे सकते हैं या 24x7 कॉल सेंटर (14555) पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने राज्यों को 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एबी-पीएमजेएवाई के विस्तार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियां चलाने के निर्देश जारी किए हैं।

*****